

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा

क्रमांक : स्था./E.A./2025/67

दिनांक : 24.07.2025

नोटिस

वास्ते

अनुपस्थित न्यायिक कर्मचारीगण,
कोटा न्यायक्षेत्र

कोटा न्यायक्षेत्र में दिनांक 18.07.2025 से राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियमों की अवहेलना करते हुए स्वेच्छया अविधिक रूप से बिना अवकाश स्वीकृत कराए सामूहिक अवकाश पर/अनुपस्थित चल रहे कर्मचारीगण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आपके सामूहिक अवकाश/हड़ताल को S.B. Criminal Misc. Suspension of Sentence Application (Appeal) No. 1687/2024 in S.B. Criminal Appeal No. 2544/2024 titled as Ibra @ Ibran Son of Mamrej Vs. State of Rajasthan में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 के द्वारा अवैध करार दिया गया है।

अतः आप दिनांक 25.07.2025 को प्रातः 10:00 बजे अपने पदीय कर्तव्यों पर उपस्थित रहें, अन्यथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त वर्णित आदेश में निर्देशानुसार अस्थाई कार्य व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हुए परिवीक्षाधीन कर्मचारीगण के विरुद्ध उनके नियुक्ति आदेश में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार तथा शेष कर्मचारीगण के विरुद्ध राजस्थान सेवा नियमों/राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही अमल में लाते हुए अग्रिम आवश्यक व उचित कार्यवाही हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को सूचित किया जाएगा। अस्थाई कार्य व्यवस्था के दौरान कोई रिकॉर्ड/दस्तावेज गुम होने का दायित्व उस कर्मचारी का होगा जो उस विशेष सीट पर स्थाई रूप से तैनात है तथा जिसे रिकॉर्ड के रखरखाव का कार्य सौंपा गया है।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटा

क्रमांक : स्था./E.A./2025/68-71

दिनांक : 24.07.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त पीठासीन अधिकारीगण, कोटा न्यायक्षेत्र को प्रेषित करते हुए लेख है कि अपने अधीनस्थ अनुपस्थित कर्मचारीगण को नोटिस की तामील ईमेल/व्हाट्सएप व नोटिस बोर्ड पर चरपांगी के माध्यम से करवाई जाए।
2. अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, कोटा
3. अध्यक्ष, राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा कोटा
4. नोटिस बोर्ड/कार्यालय प्रति


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटा